रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 15 मई, 2008 / 25 वैशाख, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Shakuntla Devi W/O Shri Gian Chand, R/O Mohalla & P.O. Sultanpur Near Ghatola Nala, District Chamba, H.P. V/S Manager-cum-Chemist, Fruit Canning Unit Rajpura, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Smt. Shakuntla Devi W/O Shri Gian Chand workman by the Manager-cum-Chemist, Fruit Canning Unit Rajpura, District Chamba, H.P. w.e.f. 01-03-2006 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

———————

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Mukesh Kumari W/O Shri Raj Kumar, R/O Village Bhandarka, P.O. Sarol, Tehsil & District Chamba, H.P. V/S Manager-cum-Chemist, Fruit Canning Unit Rajpura, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Smt. Mukesh Kumari W/O Shri Raj Kumar workman by the Manager-cum-Chemist, Fruit Canning Unit Rajpura, District Chamba, H.P. w.e.f. 01-03-2006 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

———————

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Sunita Devi W/O Shri Mohinder Singh, Village Kundi, P.O. Sunara, Tehsil & District Chamba, H.P. V/S The Manager, H.P. Handloom & Handicraft Corporation Ltd. Rangmahal, Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को

उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Smt. Sunita Devi W/O Shri Mohinder Singh by the Manager, H.P. Handloom & Handicraft Corporation Chamba, w.e.f. 10-09-2004 is justified? If not, to what relief Smt. Sunita Devi is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Miss Punam D/O Shri Thakur Ram R/O Mohalla Sultanpur Near Ghatola Nala, District Chamba, H.P. V/S Manager-cum-Chemist, Fruit Canning Unit Rajpura, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है । अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Miss Punam D/O Shri Thakur Ram workman by the Manager-cum-Chemist, Fruit Canning Unit Rajpura, District Chamba, H.P. w.e.f. 01-03-2006 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Mangara Badaik S/O Shri Ramnu Badaik C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का

14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Mangara Badaik S/O Shri Ramnu Badaik workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है fd Shri Madan Lal S/O Shri Dharam Pal C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विश्य पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Madan Lal S/O Shri Dharam Pal workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Jagan Badaik S/O Shri Ramnu Badaik C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Jagan Badaik S/O Shri Ramnu Badaik workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Raj Mal S/O Shri Jaiso Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Anil Nagyen, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Anil Nagyen, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Raj Mal S/O Shri Jaiso Ram workman after 01-09-2006 when the company restarted the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Dal Singh Pujara S/O Shri Jaggi Pujara C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Anil Nagyen, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Anil Nagyen, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Dal Singh Pujara S/O Shri Jaggi Pujara workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Shakar Kisker S/O Shri Kanwar Kisker C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Shakar Kisker S/O Shri Kanwar Kisker workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ramesh Kumar S/O Shri Giana Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Anil Nagyen, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Anil Nagyen, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Ramesh Kumar S/O Shri Giana Ram workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Shyam Lal Chaudhary S/O Shri Bhagiram Chaudhary C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Anil Nagyen, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Anil Nagyen, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Shyam Lal Chaudhary S/O Shri Bhagiram Chaudhary workman after 01-09- 2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Lakhan Soran S/O Shri Brindavan Soran C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Lakhan Soran S/O Shri Brindavan Soran workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Bhimsen Rodia S/O Shri Bhagirathi Rodia C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Bhimsen Rodia S/O Shri Bhagirathi Rodia workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Mukesh Rai S/O Shri Umanath Rai C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dev Raj Negi, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Mukesh Rai S/O Shri Umanath Rai workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/8(Lab)ID/ 05-Sunder Nagar.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Raj Kumar S/O Shri Tulsi Ram, Village Saul, P.O. Khural, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. V/S Divisional Forest Officer, Wild Life Division, Kullu, District Kullu, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Raj Kumar S/O Shri Tulsi Ram workman by the Divisional Forest Officer, Wild Life Division, Kullu, District Kullu, H.P w.e.f. June, 2003 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 whereas junior to him are retained by the employer is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

———————

शिमला–171001

संख्या :11-23/84(Lab)ID/ 07-Mandi.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Krishan Chand S/O Shri Diwan Singh, Village Nouru, P.O. Bhangrotu, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. V/S Deputy Director Agriculture, Mandi, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the retrenchment of services of Shri Krishan Chand S/O Shri Diwan Singh workman by the Deputy Director Agriculture, Mandi, District Mandi, H.P. vide retrenchment order dated 30-06-2006 (Copy enclosed) is legal and justified specially when Government issued orders to regularize the services of all Daily wage/Contigent paid worker who have completed 8 years on 31-03-2004? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kuldeep Singh S/O Shri Kishori Lal, R/O Village Dhati, P.O. Baggi, Tehsil Khundian, District Kangra, H.P. V/S Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Dehra, District Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the demand raised by Shri Kuldeep Singh S/O Shri Kishori Lal Ex daily wages worker from the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Dehra, District Kangra, H.P. to regularize his services on the pay scale of Rs. 2620-4140 w.e.f. 01-01-1998 after completion of 10 years continuous service with 240 days as alleged by the workman is proper and justified? If yes, what relief of service benefits the above workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Miss Kunta Devi D/O Shri Lacho Ram, Village Telka, P.O. Manjeer, Tehsil Salooni, District Chamba, H.P. V/S Executive Engineer, H.P.S.E.B. Division, Dalhousie, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Miss Kunta Devi D/O Shri Lacho Ram workman by the Executive Engineer, H.P.S.E.B. Division, Dalhousie, District Chamba, H.P. w.e.f. 01-09-1996 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Desh Raj S/O Shri Kanshi Ram, R/O Village Panyala, P.O. Rangus, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P. V/S (1) Project Officer, Herbal Garden, Joginder Nagar, District Mandi, H.P. (2) The Incharge, Herbal Garden, Neri, P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विश्य पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) Project Officer, Herbal Garden, Joginder Nagar, District Mandi, H.P. (2) The Incharge, Herbal Garden, Neri, P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur, H.P. to retain junior workers who are junior to Shri Desh Raj S/O Shri Kanshi Ram workman and to give him break in service as alleged by the workman without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of back wages, seniority and service benefits the above aggrieved workman is entitled from the above employer?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Vijay Singh S/O Shri Khaimdi Ram, R/O Village Dhunter, P.O. Kuthera, Tehsil & District Hamirpur, H.P. V/S (1) Project Officer, Herbal Garden, Joginder Nagar, District Mandi, H.P. (2) The Incharge, Herbal Garden, Neri, P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विश्य पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) Project Officer, Herbal Garden, Joginder Nagar, District Mandi, H.P. (2) The Incharge, Herbal Garden, Neri, P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur, H.P. to retain junior workers who are junior to Shri Vijay Singh S/O Shri Khaimdi Ram workman and to give him break in service as alleged by the workman without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of back wages, seniority and service benefits the above aggrieved workman is entitled from the above employer?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Chaman Lal S/O Shri Dhani Ram, R/O Village Matrunah, P.O. Sansal, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. V/S (1) Project Officer, Herbal Garden, Joginder Nagar, District Mandi, H.P. (2) The Incharge, Herbal Garden, Neri, P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) Project Officer, Herbal Garden, Joginder Nagar, District Mandi, H.P. (2) The Incharge, Herbal Garden, Neri, P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur, H.P. to retain junior workers who are junior to Shri Chaman Lal S/O Shri Dhani Ram workman and to give him break in service as alleged by the workman without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of back wages, seniority and service benefits the above aggrieved workman is entitled from the above employer?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Om Parkash S/O Shri Brij Lal, R/O Village and P.O. Gopalpur, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. V/S The Conservator of Forests, Working Plan & Settlement, Shimla-2. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Om Parkash S/O Shri Brij Lal workman by the Conservator of Forests, Working Plan & Settlement, Shimla-2 w.e.f. 22-12-2000 even after getting reinstatement through the Hon'ble Administrative Tribunal, H.P. and without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kishan S/O Shri Lehnu, R/O V.P.O. Jassourgarh, Tehsil Churah, District Chamba, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division, Churah at Chamba, District Chamba, H.Pप के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, HPPWD Division, Churah at Chamba, District Chamba, H.P not to regularize the services of Shri Kishan S/O Shri Lehnu workman w.e.f. 01-01-1996 after compition of 10 years continuous service as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and from which date the above aggrieved workman is entitled for regularization to?"

———————

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Suresh Kumar S/O Shri Jai Ram, R/O V.P.O. Gopalpur, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. V/S The Divisional Forest Officer, Working Plan Division, Dharamsala, District Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of the services of Shri Suresh Kumar S/O Shri Jai Ram, V.P.O. Gopalpur, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 22-12-2000 by the Divisional Forest Officer, Working Plan Division, Dharamsala, \Kangra, H.P. without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what relief of service benefits, seniority, back wages and other consequential benefits the workman concerned entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Mohinder Singh S/O Shri Puran Chand, VPO Rajer, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. V/S The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, (B&R) Baijnath, District Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether giving fictional breaks to Shri Mohinder Singh S/O Shri Puran Chand workman during his service period end of the every months w.e.f. April, 2002 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, (B&R) Baijnath, District Kagra, H.P., whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of back wages, seniority and service benefits the above aggrieved workman is entitled from the above employer?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/ 07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Braham Chand S/O Shri Biri Singh, Village Jamrella, P.O. Gandhigram, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. V/S Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division (B & R) Baijnath, District Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विशय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether giving fictional breaks in service to Shri Braham Chand S/O Shri Biri Singh workman during his service period end of the every months w.e.f. November, 1998 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, (B&R) Baijnath, District Kangra, H.P., whereas similar persons who joined the duties alongwith the workman engaged continued without following the principal of 'Last Come First Go' as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of back wages, seniority and service benefits the above aggrieved workman is entitled from the above employer"?

शिमला–171001

संख्या :11-1/85(Lab)ID/ 07-Kangra.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Karnail Singh S/O Shri Tulsi Ram, Vill. & P.O. Jangloi (Jaglani), Tehsil Fatehpur, District Kangra, H.P. V/S the Divisional Manager, H.P. Forest Development Corporation, Division Fatehpur, Tehsil Fatehpur, District Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Karnail Singh S/O Shri Tulsi Ram workman by the Divisional Manager, H.P. Forest Development Corporation, Division Fatehpur, District Kangra, H.P. w.e.f. 05-07-97 after giving Rupeees 7892/- as compensation is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to from the above employer"?

Sd/-
Labour Commissioner.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 14 मई, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ–(5)242 / 2007.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव भांटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में काला अम्ब–नाहन–पांवटा साहिब,–देहरादून राष्ट्रीय उच्च मार्ग–72 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फील्ड शिमला–3 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फील्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
सिरमौर	पांवटा साहिब	भांटावाली	89	968–55
		कुल जोड	किता–1	968–55

शिमला–2, 14 मई, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0–(7)1–111 / 2007.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कलखर / 417, उप तहसील बल्द्धाडा, जिला मण्डी में उन्ना अघार–जाहु–भाम्बला–नेरचौक सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप–तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षे0 है0 में
मण्डी	बल्द्धाडा	कलखर / 417	555	1–04–71
			556 / 1	0–02–02
			558 / 1	0–00–10
			557 / 1	0–02–24
			559 / 1	0–00–70
			515 / 1	0–00–07
			521 / 1	0–00–04
			513 / 1	0–00–94
			529 / 1	0–00–10
			560 / 1	0–01–25
			561 / 1	0–03–00
			606 / 1	0–01–76
			525 / 1	0–00–58
			527 / 1	0–00–18
			526 / 1	0–00–06
		कुल जोड	किता–15	1–17–75

शिमला–2 9 मई, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ–(5)198 / 2007.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव मडलाह, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में जमटा–बागथन मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फील्ड शिमला–3 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फील्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (विघा विस्वा)
सिरमौर	नाहन	मडलाह	208 / 1	2–1
			272 / 1	0–4
			219 / 1	0–12
			235 / 1	0–1
			236 / 1	0–4
			237 / 1	0–2
			237 / 2	0–4
			234 / 1	0–5
			234 / 2	0–2
			270 / 1	1–15
			528 / 523 / 273 / 1	1–3
			524 / 492 / 273 / 1	2–3
			491 / 273 / 1	0–7
			275 / 1	0–17

			285 / 1	0–2
			276 / 1	0–12
			277 / 1	0–8
			316 / 1	0–9
			315 / 1	0–2
			530 / 504 / 320 / 1	0–17
			500 / 320 / 1	0–4
			501 / 320 / 1	0–2
			531 / 504 / 320 / 1	1–12
			330 / 1	1–12
			331 / 1	0–19
			332 / 1	0–6
			341 / 1	0–1
			357 / 1	0–1
			448 / 1	1–3
			529 / 504 / 320 / 1 / 1	0–18
			529 / 504 / 320 / 2 / 1	0–18
		कुल जोड	किता–31	19–6

शिमला–2, 7 मई, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 13 / 2008.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव लोअर कोटी, तहसील रोहडू, जिला शिमला में पारसा धारा शेखल सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचाना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग द0क्षेत्र शिमला (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	रकवा (हैक्टेयर में)
शिमला	रोहडू	लोअर कोटी	1541 / 1	0–04–13
		कुल जोड	किताः 1	0–04–13

शिमला–2, 3 मई, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)ए0–(7) 1–181 / 2007.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव चांगो निचला व नाको, उप–तहसील हंगरंग स्थित, जिला किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप–तहसील	गांव	खसरा न0	रकवा (है0 में)
किन्नौर	हंगरंग	चांगो निचला	1093 / 1049 / 1004 / 1	0– 13–34
	स्थित यंगथंग		किता–1	0–13–34
किन्नौर	हंगरंग	नाको	1538 / 1	0–00–64
	स्थित यंगथंग		1539 / 1	0–00–67
			1547 / 1	0–00–78
			1549 / 1	0–01–50
			1579	0–04–00
			1581	0–03–76
			1584 / 1	0–00–50
			1585 / 1	0–00–25
			1586 / 1	0–00–45
			1587 / 1	0–00–91
			किता 10	0–13–48

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित